शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/शिप्रशि/2018/3512 भोपाल, दिनांक– 8.6.18

प्रति

प्रशिक्षण निर्देश क्रमांक–3

प्राचार्य डाईट
समस्त जिले म0प्र0

जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले म0प्र0

विषय–माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में संदर्भित पत्रों के माध्यम से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण अंतर्गत माध्यमिक शालाओं मे हिन्दी एवं गणित पढाने वाले शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन विगत 5 जून से प्रारंभ किया गया है। जिलों में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

1–शिक्षकों की आनलाईन सूची अपडेट नहीं होने के कारण शिक्षकों के आदेश जारी करने में समस्या उत्पन्न हो रही है अतएव ,प्राचार्य डाईट एवं जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जिले के प्रोग्रामर एवं जिलों के बीआरसी तथा एमआईएस समन्वयक/आपरेटर की एक बैठक आयोजित करते हुये संलग्न निर्धारित प्रपत्र में गणित एवं हिन्दी विषय के ऐंसे शिक्षकों के नाम अंकित करें जो हिन्दी अथवा गणित विषय पढा रहे है। यह फार्मेट बीआरसी अपने लॉगइन से प्राचार्य डाईट को जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भेजें तथा प्राचार्य डाईट अपने लॉगइन से श्री राहुल शर्मा के ई मेल –rskteabedu.@gmail.com एवं श्री अरूण rmsa.webteam@gmail.com पर प्रेषित करें जिससे सभी शिक्षकों के नाम आनलाईन किये जाकर आदेश जारी हो सकेंगे। इसके लिऐ समय सीमा 11 जून 2018 तक सुनिश्चत करें। अन्य निम्न बिन्दु है जिनपर ध्यान दें।

अ–यदि एक ही शिक्षक गणित एवं हिन्दी पढा रहा है तो उसका नाम दोंनो विषयों में आयेगा।

ब–जिन शालाओं में एक भी शिक्षक नहीं है तथा अतिथि शिक्षक के माध्यम से अध्यापन कार्य हो रहा है उन शालाओं से किसी शिक्षक को नामांकित नहीं करें तथा अपने लक्ष्य से भी कम करें।

स–समस्त बीएसी गणित एवं हिन्दी विषय तथा हिन्दी एवं गणित विषय के सीएसी को भी आफ लाईन प्रशिक्षण में सम्मिलित करें।

द–जिन शिक्षकों ने गणित विषत का प्रशिक्षण गत वर्ष प्राप्त कर लिया है उनको भी प्रशिक्षण में अनिवार्यतः सम्मिलित करायें।

2–वर्तमान में जितने शिक्षक गणित अथवा हिन्दी में सूची में दर्ज हैं उनको 11 से 15 जून के बेच में आमंत्रित करें। यदि हिन्दी अथवा गणित के 120–120 कुल 240 शिक्षक नहीं हो पा रहे है ऐंसी स्थिति में शेष संख्या पूर्ण करने हेतु आफ लाईन आदेश जारी करें। यह व्यवस्था केवल 11 से 15 जून हेतु लागू होगी।

3–आन लाईन डीआरजी एवं शिक्षकों की उपस्थिति vimarsh लिंक में उपलब्ध फार्मेट पर आन लाईन प्रतिदिवस 11.00 बजे प्रेषित करेंगे। जिसका लिंक http://mpsdc.gov.in/rmsa/shiksha/index.aspx है इस पर प्राचार्य डाईट/जिला परियोजना समन्वयक प्रेषित करेंगे ।

4–शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण का फीडबेक भी ऑन लाईन प्रेषित किया जाना है प्रत्येक शिक्षक द्वितीय दिवस एवं चौथे दिवस शिक्षक अपने मोबाईल से फीडबेक फार्म भरकर लिंक

16

http://mpsdc.gov.in/rmsa/school/ms-teacher-feedback-form.aspx के माध्यम से प्रेषित करेंगे। प्राचार्य डाईट /जिला परियोजना समन्वयक शिक्षकों से फीडबेक संपन्न कराना सुनिश्चित करे।

5–**प्रशिक्षण सामग्री** –हिन्दी/गणित माड्यूल जो मेल से भेजा गया है जिसमें हिन्दी में सामान्यतः कुल 30 पेज हिन्दी विषय का माड्यूल है जो प्राचार्य द्वारा प्रत्येक शिक्षक को मुद्रण कराकर उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार हिन्दी दक्षता उन्नयन की टीचर हैण्डबुक जो मेल से प्रेषित की गई है उसे प्रति कक्ष 5 बुक प्रिंट/फोटोकापी कराकर उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार गणित विषय में सामान्यतः 43 पेज का प्रशिक्षण माड्यूल प्रत्येक शिक्षक को उपलब्ध कराना है तथा गणित दक्षता उन्नयन की टीचर हैण्डबुक,बच्चों की वर्कबुक जो मेल से प्रेषित की गई है उसे प्रति कक्ष 5 बुक प्रिंट/फोटोकापी भंडारक्रय नियमों का पालन करते हुये कराकर उपलब्ध कराना है। ये माड्यूल प्रशिक्षण समाप्ति पर वापिस प्राप्त कर आगामी बैच में उपयोग करेंगे। यह माड्यूल टीबीसी से प्रिंट होकर सीधे जिलों को प्रेषित किया जा रहा है।

6–कक्ष में एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से एसआरजी (डाईट) को उपलब्ध कराईगई पेन ड्राईव में वीडिओ एवं प्रजेन्टेशन लेपटाप के माध्यम से आवश्यकतानुसार उपयोग करें इसी प्रकार कूलर ब्लेक/ब्हाईट बोर्ड /टीएलएम(ड्राईंगशीट स्केचपेन आदि) की अनिवार्यतः उपलब्धता सुनिश्चत करें।

7–आपके जिले में अशासकीय संस्थाओं तथा आईएसएसई,एसआईएसई,सीटीई के प्रतिनिधि प्रशिक्षण अवलोकन हेतु उपस्थित होंगे जिन्हैं आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

8–प्रशिक्षण के प्रथम दिवस अथवा अंतिम दिवस कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आमंत्रित करें। इस हेतु जिला परियोजना समन्वयक समन्वय करना सुनिश्चत करें।

9–जिला परियोजना समन्वयक प्रतिदिवस मॉनीटरिंग आनलाईन रिपोर्ट vimarsh लिंक के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

(संचालक महोदय द्वारा आदेशित)

8/6/18

(ओ.एल.मण्डलोई)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ0क्रमांक/राशिके/शिप्रशि/2018/3513 **भोपाल, दिनांक–** 8.6.18
प्रतिलिपि–

1–प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2–आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल
3–कलेक्टर समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4–समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय की ओर लेख है कि क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जिलों की मॉनीटरिंग करते हुये रिपोर्ट प्रेषित करें।
5–साथ टीम प्रभारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6–जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7–श्री राहुल शर्मा एवं श्री अरूण सेन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8–समस्त जिला प्रभारी राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि अपने–अपने जिलों का फीडबेक प्राप्त कर संचालक महोदया के समक्ष प्रस्तुत करें।
9–आईसीटी कक्ष की ओर एजूकेशन पोर्टल में अपलोड हेतु प्रेषित।

8/6/18

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र